भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
(वीएएस प्राकोष्ठ)

सं0 311-80/2001-वीएएस(खण्ड-2) दिनांक 14.07.2006

सेवा में,

सभी पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक

विषय : एनटीपी-99 के अंतर्गत नई लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानान्तरण के पश्चात पीएमआरटीएस के लिए लाइसेंस करारों में संशोधन ।

पीएमआरटीएस के लाइसेंस करार में अधिसूचित संशोधन के अनुसार संशोधन किए गए हैं। ये दूरसंचार विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.dot.gov.in पर उपलब्ध हैं और इसकी प्रति इस कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

2. सभी पीएमआरटीएस लाइसेंसधारकों को इस कार्यालय के दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के पत्र संख्या 311-80/2002-वीएएस के तहत जारी किए गए पीएमआरटीएस लाइसेंस करार में पहले किए गए संशोधनों को उपर्युक्त संशोधनों द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया है।

3. अनुरोध है कि आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी लाइसेंस के संशोधित निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति के संकेतस्वरूप दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर विभिन्न सेवा क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर (रबड़ की मूहर तथा कंपनी की सामान्य मूहर लगाकर) करें और हस्ताक्षरित प्रति दूरसंचार विभाग के वीएएस प्रकोष्ठ को निरपवाद रूप से इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वापस की जाए।

राजवीर शर्मा
निदेशक (वीएएस-।।)
दूरभाष : 23036253

प्रति प्रेषित :-

1. बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली-1
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी), के एल भवन, नई दिल्ली-1
3. वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएफ), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली-1
4. सचिव, ट्राई, नई दिल्ली।
5. उप महानिदेशक (एलआर), संचार भवन, नई दिल्ली-1 को इस अनुरोध के साथ कि वे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर संशोधन को प्रकाशित करने का प्रबंध करें।

भारत सरकार
दूरसंचार विभाग
लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ (मूल्यवर्द्धित सेवा समूह)
20, अशोक रोड, संचार भवन, नई दिल्ली-1

सं0 311-80/2000-वीएएस **दिनांक :**

सेवा में

(वर्तमान पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक का नाम)
जो डिजिटल पीएमआरटीएस प्रणाली में जाने की इच्छा रखता हो।

विषय : लाइसेंस करार सं0 .....दिनांक.....पीएमआरटीएस में एनटीपी-1999 के अंतर्गत नई लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानान्तरण के पश्चात संशोधन।

महोदय,

यह एनटीपी-99 के अंतर्गत नई लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानान्तरण हेतु दिनांक 1 नवंबर, 2001 की संख्या 311-80/2000-वीएएस के तहत पीएमआरटीएस के संबंध में घोषित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है। उपर्युक्त लाइसेंस करार की संबंधित शर्तें निम्नलिखित लाइसेंस करार में 1.11.2001 से लागू किसी तथ्य के उल्लिखित होने की सीमा तक प्रतिस्थापित और संशोधित मानी जाएंगी। लाइसेंस करार की अन्य सभी निबंधन और शर्तें वैसी ही रहेंगी।

1. वित्तीय स्थितियां

देय शुल्क :

लाइसेंस शुल्क : वार्षिक लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5% की दर से होगा। समायोजित सकल राजस्व को अनुबंध-I में परिभाषित किया गया है।

1.2 बेतार स्पेक्ट्रम प्रभार - स्पेक्ट्रम के उपयोग और बेतार टेलीग्राफी उपस्कर आदि के स्वामित्व के लिए बेतार स्पेक्ट्रम प्रभार (लाइसेंस शुल्क और वायरलेस स्पेक्ट्रम के लिए रॉयल्टी) का भुगतान अलग से डब्ल्यूपीसी स्कंध को डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा यथानिर्धारित रुप से किया जाएगा और यह समय-समय पर डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के अध्यधीन होगा।

1.3 लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अनुसूची :-

उपर्युक्त पैरा 1.1 पर लाइसेंस के भुगतान के प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बारह अंग्रेजी कैलेण्डर महीने का वर्ष होगा।

व्याख्या : लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोड़ने के पश्चात दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

1.4 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों मे किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान, लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते कि न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो।

1.5 त्रैमासिक भुगतान **अनुबंध-II** तथा अनुबंध-।क में दिए गए विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जिसके साथ समायोजित सकल राजस्व का परिकलन और पिछली तिमाही के लिए देय लाइसेंस शुल्क दर्शाना होगा। प्रत्येक वर्ष के पूर्वोक्त विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारक का लेखापरीक्षक कहा गया है) से लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित होगी। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

1.6 लाइसेंसधारक किए गए भुगतान और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए देय वास्वतिक राशि (प्राप्ति के आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान कथित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर करेगा।

1.7 निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में जो दर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी, उसी के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 2% से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक रूप से मिश्रित लिया जाएगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेण्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

1.8 वर्ष के लाइसेंस शुल्क का अंतिम रूप से समायोजन कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आंकड़ों के आधार पर होगा।

1.9 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7(सात) दिनों के भीतर करार के खंड 20.4 के निबंधनों में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों में दर्शाये आंकड़े और वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आकड़ों जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखांकन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यथा लेखा परीक्षित तिमाही विवरण भी होगा, के बीच सामंजस्य बनाकर प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त यथा निर्धारित वार्षिक वित्तीय लेखा और विवरण **अनुबंध** में यथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार करना होगा।

1.10 यदि वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा की गई कुल राशि में देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 50% का जुर्माना लगेगा। कम भुगतान की इस राशि, जुर्माना सहित का भुगतान वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में **शर्त 17** की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 60 दिनों के भीतर कम भुगतान की राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

1.11 डब्ल्यूपीसी प्रभारों के लिए देय शुल्क/रॉयल्टी जैसा कि उपर्युक्त् 1-2 में वर्णित है का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि दूरसंचार विभाग का डब्ल्यूपीसी स्कंध ने समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

1.12 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण राशि बकाया और देय हो रही है तो उसका लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी, यदि लाइसेंसदाता द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए, के पक्ष में करना होगा।

1.13 लाइसेंसदाता अदा की गई राजस्व हिस्सेदारी का समुचित और सही-सही सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले और इसके बाद में लिखित इस अनुसूची की शर्त सं0 1.5,1.9,3.5 और 3.6 में जो कुछ भी कहा गया है, यदि आवश्यक मानता है तो उनमें आशोधन, फेरबदल, प्रतिस्थापन और संशोधन कर सकता है।

1.14 लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क से हुई कॉलों परंतु बीएसएनएल/एमटीएनएल तथा अन्य सेवाप्रदाता के नेटवर्क में गईं तथा समाप्त हुई कॉलों के कैरेज के लिए अलग से अभिगम प्रभारों का भुगतान करेगा। लाइसेंसधारक द्वारा बीएसएनएल/एमटीएनएल अन्य लाइसेंस सेवा प्रदाताओं से प्राप्त नेटवर्क संशोधनो के लिए भी अलग से भुगतान करेगा। यह ट्राई के निर्णय द्वारा शाशित किया जाएगा।

20 बैंक गारंटी :

2.1 वित्तीय बैंक गारंटी : लाइसेंसधारक अनुबंध V पर विहित प्रपत्र में भारत स्थित किसी अनुसूचित बैंक, अथवा भारतीय लोक वित्तीय संस्थानों (आईपीएफआई) से एक वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) प्रस्तुत करेगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। वित्तीय बैंक गारंटी की राशि एक लाख रू0 अथवा पिछले वर्ष की अन्तिम दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क और अन्य बकाया राशियों जो अन्यथा प्रतिभूति न की गई हों, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। वित्तीय बंक गारंटी आरम्भ में एक वर्ष के लिए मान्य होगी और इसका रखरखाव ऐसी सभी बकाया राशियों के अन्तिमरूप से बेबाक हो जाने तक लाइसेंस करार की सम्पूर्ण अवधि के लिए किया जाएगा। वित्तीय बैंक गारंटी की राशि लाइसेंस प्रदाता द्वारा आवधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी।

2.2 स्पेक्ट्रम का उपयोग करने तथा साथ ही बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क, प्रभार तथा रायल्टी डब्ल्यूपीसी को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रूप से देय अनुमानित राशि की समकक्ष धनराशि की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूति की जाएगी, जिसकी वैधता एक वर्ष् के लिए होगी, जिसका ऐसी सभी देयताओं का अंतिम रूप से भुगतान करने तक समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा।

2.3 लाइसेंसधारक वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर लाइसेंसदाता से कोई मांग अथवा नोटिस प्राप्त किए बिना वित्तीय बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व समान शर्तों के लिए उसकी वैधता अवधि स्वयं बढ़ा लेगा। ऐसा करने में किसी चूक से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होगा और लाइसेंसदाता वित्तीय बैंक गारंटी को भुनाने और उसी के जोखिम और लागत पर लाइसेंसधारक को कोई पत्र भेजे बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करने का हकदार हो जाएगा। लाइसेंसदाता द्वारा ऐसे नकदीकरण पर कोई ब्याज अथवा मुआवजा, कुछ भी हो, नहीं दिया जाएगा।

2.4 लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पूर्वाग्रह के बिना बैंक गारंटी को भुना सकता है।

3.0 लेखाओं की तैयारी

3.1 लाइसेंसधारक सेवा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का आहरण, रखरखाव और उन्हें प्रस्तुत करेगा औ लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा जैसा भी मामला हो, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों , दिशा-निर्देशों अथव विनियमों का पूर्णरूपेण अनुपालन करेगा।

3.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित कार्य के लिए बाध्य होगा :

(क) लाइसेंस अवधि की पूरी हुई प्रत्येक तिमाही अथवा इससे कम अवधियों जैसा लाइसेंसदाता निर्धारित करे, के संबंध में अपने करोबार में लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने और व्याख्या करने, लागत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने (पूंजीगत लागत सहित) लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक के कारोबार की राजस्व औ वित्तीय स्थिति जिसमें लगाई गई परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल है, और राजस्व की मात्र निर्धारित करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारक के कारोबार से संबद्ध अन्य देनदारियों र संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और संकलन करना।

(ख) पूरे हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए उन प्रत्येक लेखांकन विवरणों के बारे में अधिप्रापण लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातं के साथ-साथ यह बताना कि क्या उनके विचार से इस शर्त के प्रयोजनार्थ वह विवरण पर्याप्त है औ तत्पश्चात लाइसेंसदाता को उक्त रिपोर्ट के साथ प्रत्येक लेखांकन विवरणों की प्रतिलिपि उस अवधि, जिसर वे संबद्ध हों, की समाप्ति के पश्चात संप्रेषित करना जो तीन महीने से अधिक न हो।

(ग) कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर शपथ का प्रमाणित विवरण, जिसमें सेवा से प्रत्येव तिमाही के अर्जित राजस्व का अलग-अलग पूर्ण लेखा विवरण और साथ में संबंधित तिमाही का भुगतान विवरण भी हो, लाइसेंसदाता को संप्रेषित करना।

3.3 (क) लाइसेंसदाता अथवा ट्राई के पास जैसा भी मामला हो, इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा व संबंध में किए गए व्यवसाय के बारे में किसी भी लेखा बही जिसका रखरखाव लाइसेंसधारक करे, की जांच करने व लिए किसी भी समय मांग करने का अधिकार है और लाइसेंसधारक जांच के लिए उन्हें आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

(ख) लाइसेंसधारक निरपवाद रूप से कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित व अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी बिलिंग और अन्य लेखांकन रिकार्डों (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉपी) को सुरक्षित रखेगा और इस कार्य में किसी भी कोताही को किसी अन्य उल्लंघन के समान स्वतः वास्तविक उल्लंघन मान जाएगा और यह लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त कारण होगा।

3.4 लाइसेंसधारक के रिकार्डों की जांच लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अध्यधीन होगी तावि लाइसेंसदाता को देय उसके राजस्व हिस्सेदारी की धनराशि के स्वतंत्र सत्यापन में सुविधा रहे।

3.5 लाइसेंसदाता के विचार में जब यह आए कि प्रस्तुत किए गए विवरण अथवा लेखांकन गलत अथवा भ्रामक है तो वह लाइसेंसधारक के खर्च पर लेखा परीक्षक नियुक्त करके लाइसेंसधारक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने क आदेश दे सकता है और नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों के पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम 1956 क धारा 227 के अधीन कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को मिली होती हैं। ऐसे लेखा परीक्षकों की परिलब्धियां लाइसेंसदाता द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाएंगी, वे लाइसेंसधारक द्वारा वहन की जाएंगी।

3.6 लाइसेंसदाता "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा लाइसेंसधारक कंपनी के लेखाओं/रिकार्डों की "विशेष लेखा परीक्षा" भी करा सकता है जिसका भुगतान लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाएगा। इसे लाइसेंसधारक कंपनी वहन करेगी। यह उपर्युक पैरा **3.5** में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा के स्वरूप का होगा। "विशेष लेखा परीक्षकों" को भी वही सुविधा और वही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उपलब्ध हैं।

3.7 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर निर्धारित लेखांकन मानदंडों और मार्गनिर्देशों जैसा भी मामला हो, के अनुसार कंपनी का वार्षिक वित्तीय लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

3.8 निष्पादन बैंक गारंटी (पीब्जी) पीबीजी प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है।

4.0 लाइसेंस अवधि : लाइसेंस करार को इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि लाइसेंस करार में दी गई प्रभावी तारीख से गणना करने पर कुल लाइसेंस अवधि 20 वर्षों की हो।

<u>लाइसेंस को बढ़ाना</u>

4.1 आवश्यकता पड़ने पर, लाइसेंसदाता लाइसेंस की अवधि को, लाइसेंसधारक के अनुरोध पर एक समय 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर लाइसेंस अवधि के 19वें वर्ष के दौरान किया गया हो। अवधि बढ़ाने की मंजूरी के संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

5. एनालॉग से डिजिटल पीएमआरटीएस प्रणाली में स्थानांतरण

लाइसेंसधारक को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए 1 मेगाहर्टज तक अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा जो इसकी उपलब्धता तथा औचित्य पर आधारित होगा और लाइसेंसधारक को इस करार पर हस्ताक्षर की तारीख से दो वर्षों के भीतर अपने नेटवर्क को डिजिटल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी में जाने संबंधी असफलता के कारण लाइसेंस करार को रद्द कर दिया जाएगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी में सेवा परिवर्तन का आशय लाइसेंस प्रदाता को सूचित करते हुए सभी ग्राहकों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रभावी वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करना है।

एक मेगाहर्टज़ से अधिक स्पेक्ट्रम के आवंटन पर उपलब्धता और आवंटन के औचित्य के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसा सभी सेवा क्षेत्र को पूरी तरह सेवा द्वारा कवर करने तथा उपभोक्ता आधार के 10,000 तक पहुंचने पर हो सकेगा।

6. सेवा क्षेत्र : (टिप्पणी : संबंधित लाइसेंस करार में केवल संबंधित भाग का उल्लेख किया जाएगा।

6.1 लाइसेंस का सेवा क्षेत्र लाइसेंस करार के अनुसार होगा। क्षेत्र की भौगोलिक सीमा वही होगी जैसा कि किसी विशेष सेवा क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(क) मेट्रो सेवा क्षेत्र : पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए मेट्रो सेवा क्षेत्र निम्न प्रकार होगी :

(क) मेट्रो सेवा क्षेत्र : पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए मेट्रो सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा :

1	मुंबई मैट्रो सेवा क्षेत्र	मुंबई, नवी मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाला लोकल सेवा क्षेत्र।
2	दिल्ली मैट्रो सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाला लोकल क्षेत्र
3	कोलकाता मैट्रो सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाला लोकल क्षेत्र

(ख) सर्किल सेवा क्षेत्र (मेट्रो क्षेत्रो को छोड़कर) के लिए

पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए सर्किल सेवा क्षेत्र निम्नप्रकार होंगे :-

क्र0सं0	**दूरसंचार सर्किल/ महानगर सेवा क्षेत्र का नाम**	**कवर किए गए क्षेत्र**
01	प0 बंगाल	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर होने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।
02	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का येनुम क्षेत्र
03	असम	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
04	बिहार	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 2000 का 30) के अनुसरण में नवनिर्मित झारखंड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
05	गुजरात	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
06	हरियाणा	फरीदाबाद एवं गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर, हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
07	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
08	जम्मू एवं कश्मीर	लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
09	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
10	केरल	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
11	मध्य प्रदेश	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 : 2000 का 28) के अनुसरण में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनगर्ठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
12	महाराष्ट्र	मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

13	पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	पंजाब	पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	राजस्थान	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
17	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का येनुम क्षेत्र शामिल नहीं है।
18	उत्तर प्रदेश पश्चिम	उत्तरांचल राज्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : पीलभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी एवं एटावा। इसमें गाजियाबाद एवं नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे।
19	उत्तर प्रदेश पूर्व	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जिसमें क्रम सं0 18 में निर्दिष्ट स्थान शामिल नहीं है।

यह एक शर्त होगी कि पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए उपर्युक्त 6.1 (ख) के अंतर्गत सर्किल सेवा क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आवंटन पूर्णतः सेवा क्षेत्र विशेष में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर निर्भर होगा। पीएसटीएन कनेक्टिविटी में सीधे डायल करना निषिद्ध है।

6.2 सर्किल सेवा क्षेत्र के लिए फ्रीक्वेंसी के आवंटन पर सर्किल के समस्त सेवा क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा और संपूर्ण सेवा क्षेत्र में सभी स्थानों/शहरों में कुछ चैनल उपलब्ध नहीं होंगे।

6.3 पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक को सिटी सेवा क्षेत्र से सर्किल सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण पर इंट्रासिटी और इंट्रासिटी कनेक्टिविटी के लिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसियों की आवश्यकता होगी। ऐसी फ्रीक्वेंसियों का आवंटन विद्यमान प्रयोक्ताओं के साथ सफल समन्वय और उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

6.4 क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में लाइसेंसिंग प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण का लाइसेंस पर बाध्यकारी प्रभाव होगा।

7.0 अंर्तसंयोजन :

(क) अनुमत पीएसटीएन कनेक्टिविटी सदृश प्रणाली के लिए 5 (पांच) आरएफ चैनलों की एक पीएसटीएन लाइन तथा केवल एक लाइसेंस प्राप्त अभिगम सेवा प्रदाता तक सीमित होगी।

(ख) अनुमत पीएसटीएन कनेक्टिविटी 10,000 ग्राहकों तक डिजिटल प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त ई-1 संपर्क (30सर्किटों) तक सीमित होगी और बाद में प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 ग्राहकों अथवा उनके एक भाग के लिए एक अतिरिक्त ई-1 संपर्क (30सर्किटों) तक तथा केवल एक लाइसेंसप्राप्त अभिगम सेवा प्रदाता तक सीमित होगी।

(ग) पीएसटीएन कनेक्टिविटी में सीधे डायल करना निषिद्ध है।

(घ) इंटर साईट कनेक्टिविटी - इंटरसाइट कनेक्टिविटी की अनुमति पीएमआरटीएस सेवा प्रदाताओं को लाइसेंसशुदा क्षेत्र के भीतर उनके अपने स्थलों के बीच दी जाएगी।

8. अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्शन जाँच पारस्परिक आयोजन द्वारा की जा सकती है। इंटरकनेक्शन जाँच समय-सारणी पारस्परिक सहमति से बनाई जाएगी। इन जांचों के लिए लाइंसेंसधारी द्वारा पर्याप्त समय, अर्थात कम से कम 30 दिनों से अधिक का समय दिया जाएगा।

9. अन्य नेटवर्कों के साथ अभिगम या इंटर कनेक्शन के लिए प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक करार पर आधारित होंगे जो कि ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किसी संकल्प, विनियमन, आदेशों या निदेश के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

10. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं का नेटवर्क स्थापित करेगा ताकि अन्य सेवा/अभिगम प्रदाताओं के उपस्कर से प्रतिस्पर्धा बनी रहे जिसके लिए पीएमआरटीएस लाइसेंसधारी की अनुप्रयोज्य प्रणाली इंटरकनेक्शन के लिए निहित की गई है।

11. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक लाइसेंस नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करेगा जिसमें नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस के संबंध में सेवा मानकों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक सहमती होगी जोकि समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता या ट्राई द्वारा अन्य अनुदेशों के अध्यधीन हो। नेटवर्क से नेटवर्क इंटरफेस के लिए टीईसी द्वारा निर्धारित मानकों और ट्राई द्वारा निर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता को पूरा करने में किसी लाइसेंसधारक की ओर से कोई चूक होने पर लाइसेंसधारक के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी।

12. सुरक्षा के हित में प्रत्येक प्रकार की प्रणाली के लिए निर्धारित उपयुक्त अनुश्रवण उपस्कर जब भी लाइसेंसप्रदाता द्वारा ऐसा अपेक्षित होगा मॉनीटरिंग के लिए लाइसेंसधारक के लिए प्रदान किए जाएगें।

13. **लाइसेंस का अंतरण**

लाइसेंसधारक लाइसेंसप्रदाता के पूर्व लिखित अनुमोदन से लाइसेंस करार का अंतरण अथवा आवंटन कर सकता है जिसकी मंजूरी निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर दी जाएगी।

(i) जब अंतरण अथवा आवंटन का अनुरोध त्रिपक्षीय करार की कार्यविधि को पूरा करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। यदि ऐसा करार लाइसेंसप्रदाता, लाइसेंसधारक तथा ऋणदाताओं के बीच हुआ हो ;

(ii) उच्च न्यायालय या अधिकरण द्वारा प्रचलित कानून के अनुसार विलय अथवा पुनर्गठन अर्थात एक साथ करने या अलग-अलग करने की स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जो खासकर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के उपबंधों के अनुसार हो ; तथा

(iii) स्थानांतरित होने वाला/आवंटी उस क्षेत्र में नया लाइसेंस मंजूर करने के लए निविदा की शर्तों अथवा किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित पात्रता मानदंडों के अनुसार पूरी तरह पात्र है तथा विगत और भावी विस्तार दायित्वों सहित लाइसेंस करार की निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने की लिखित रूप में इच्छा प्रकट करता है ; और

(iv) स्थानांतरणकर्ता कंपनी द्वारा स्थानांतरण/आवंटन करने की तारीख तक सभी पूर्व बकाया देय राशि का पूर्णतः भुगतान कर दिया गया हो और तत्पश्चात स्थान ग्रहण करने वाली कंपनी बाहर जाने वाली कंपनी द्वारा विगत अवधि से संबंधित नहीं चुकाई गई किसी राशि सहित भविष्य में सभी देय बकाया राशि के भुगतान करने की शपथ लेती हो।

14. पीएमआरटीएस प्रदाता बिना किसी भेदभाव के सेवा क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

15. लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने में निहित संपूर्ण अवसंरचना के लिए स्वयं इंतजाम करेगा तथा संस्थापना, आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों का निरूपण, अपने उपभोक्ताओं के बिल जारी करना, राजस्व का संग्रहण, अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और क्षतियों पर ध्यान देने के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार होगा।

16. लाइसेंसधारी सामान्यतः अपने नेटवर्क में बल्क एनक्रिप्शन इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करेगा। तथापि, यदि लाइसेंसधरी के नेटवर्क में किसी एनक्रिप्शन उपस्कर का प्रयोग किया जाता है तथा वह उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उसका पूर्व मूल्यांकन होना चाहिए तथा सरकार से इसका लिखित रूप से अनुमोदन होना चाहिए।

17. लाइसेंसधारी गुप्तचर्या, विद्रोही गतिविधि, विध्वसांत्मक या कोई अन्य अवैध गतिविधि रोकने के लिए सरकार को संबद्ध समय में विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करते हुए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों की मांग पर तकनीकी जांच और निरीक्षण के लिए जोकि दृश्य निरीक्षण या प्रचालनात्मक निरीक्षण हो सकता है के लिए स्विचिंग/पारेषण केन्द्रों तक पूर्ण अभिगम प्रदान करेगा।

18. लाइसेंसधारी के नेटवर्क के संस्थापन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लगाए जाने वाले सभी बाह्य व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरेंस लेनी होगी। सुरक्षा क्लियरेंस गृह मंत्रालय, भारत सरकार से लेनी होगी।

19. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि संचार की निजता सुरक्षित रहे और साथ ही संदेशों का अनाधिकृत इंटर सेप्शन न हो पाए।

20. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के तहत ट्राई द्वारा जारी कोई आदेश निदेश या संकल्प अधिनियमन का अनुपालन करेगा।

21. लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह भारत सरकार द्वारा यथा घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध या कम तीव्रता संघर्ष या जनहित में कोई अन्य समान परिस्थितियों में इस लाइसेंस को सेवा क्षेत्र मे पूर्णतः अथवा अंशतः रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता हैं। इन परिस्थितियों के अध्यधीन सरकार की ओर जारी कोई विशिष्ट आदेश या निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होंगे तथा इनका अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

22. लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, जन हित ओर टेलीग्राफों के सुचारू प्रचालन के हित में आवश्यक समझे जाने वाली नई शर्तों को लागू कर सकता है या मौजूदा शर्तों को आशोधित कर सकता है।

23. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना से कोई सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं होगा तथा किसी विधि, कानून अंवा विनियम और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं होगा।

24. लाइसेंसधारी देश के संस्थापित कानून के अनुरूप, अपने नेटवर्क से छोड़ी जा रही आपत्तिजनक, अश्लील, अनाधिकृत या अन्य साम्रगी, संदेश या संचार जो किसी भी रूप में प्रकाशनाधिकार, बौद्धिक संपदा आदि का उल्लंघन करती है को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यदि अधिकृत एजेंसियों द्वारा लाइसेंसधारी को ऐसे उल्लंधन का कोई विशिष्ट उदाहरण बताया जाता है तो लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री के संचालन को तुरंत रोक दिया जाता है। लाइसेंसधारी अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से संचारित उपद्रवी, आपत्तिजनक या विद्वेषपूर्ण् कॉलों, संदेशों या बातचीत का पता लगाने के लिए बिना किसी विलंब के ट्रेसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस बारे लाइसेंसधारी की ओर से हुई किसी गलती की वजह से किसी क्षति का भुगतान लाइसेंधारी द्वारा किया जाएगा।

25. यदि करार के उचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत की जाती है तो लाइसेंसधारी और उसके कर्मचारी और नौकर उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बाध्य होंगे।

26. आवेदन या लाइसेंस, यदि स्वीकृत है तो उनसे संबंधित सभी मामले टीडीएसएटी के क्षेत्राधिकार में आएंगे।

सेट ऑफ खंड

27.1 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंसधारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय हो जाता है तो ऐसी धनराशि अथवा दावे को (विधि द्वारा दिए गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना) तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात किसी समय लाइसेंसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समयोजित कर दिया जाएगा।

27.2 लाइसेंसधारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

27.3 सेट ऑफ के अधिकार का प्रयोग करने के बाद लाइसेंसप्रदाता द्वारा लाइसेंसधारक को एक नोटिस हमेशा तत्काल दिया जाएगा।

28. लाइसेंस करार की अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

नाम :

सहायक निदेशक (वीएएस-।।)

पदनाम :

कृते भारत के राष्ट्रपति

मैसर्स के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

गवाह :

1.....

2.....

लाइसेंसिंग कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी लाइसेंस के संशोधित निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति के संकेत स्वरूप दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (रबड़ की मुहर तथा कंपनी की साधारण मुहर लगाकर) करें। एक हस्ताक्षरित प्रति रखी जाए और दूसरी प्रति वापस की जाए।